

15वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2018

Notice for 15th Annual General Meeting

Thursday, June 21, 2018



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

अनुसूची / INDEX

नोटिस	3	Notice	23
टिप्पणियां	5	Notes	25
मद क्र. 2, 3 और 4 के लिए स्पष्टीकरण कथन	9	Explanatory Statement to Item no. 2, 3 and 4	29
विधिक प्रावधान	11	Legal provisions	31
नामांकन फॉर्म	16	Nomination Form	35
उम्मीदवारों द्वारा घोषणा और वचनपत्र	17	Declaration and Undertaking by the candidate	36
उपस्थिति पर्ची/ प्रवेश पास	21	Attendance Slip/ Entry pass	40
प्रॉक्सी फॉर्म	22	Proxy Form	41
एनईसीएस फॉर्म	42	NECS Form	43

15वीं वार्षिक साधारण बैठक / 15th Annual General Meeting

**वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 संलग्न है
ANNUAL REPORT 2017 -18 ENCLOSED**

**महत्वपूर्ण दिनांक और कार्यक्रम
IMPORTANT DATES AND PROGRAMME**

कार्यक्रम / Events	दिनांक / Date
शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन की प्रक्रिया में सहभाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण हेतु निर्दिष्ट दिनांक / Specified date for ascertaining shareholders entitled to participate in the process of election of Shareholder Director	18 मई, 2018/ 18 th May, 2018
नामांकन प्राप्त करने का अंतिम दिनांक / Last date for receipt of nomination	06 जून, 2018 को सायं 5.00 बजे तक/ 06 th June, 2018 by 5.00 p.m
नामांकनों की संवीक्षा / Scrutiny of nominations	07 जून, 2018/ 07 th June, 2018
ई-वोटिंग अवधि / E-Voting period	18 जून 2018 को सुबह 9.00 बजे से 20 जून 2018 को सायं 5.00 बजे तक/ From 9.00 a.m, 18 th June, 2018 To 5.00 p.m, 20 th June, 2018
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने का अंतिम दिनांक / Last date for receipt of Proxy forms and resolutions for appointing authorized representatives	15 जून, 2018 को सायं 5.00 बजे तक 15 th June, 2018 by 5.00 p.m
बही बंदी / Book Closure	15 जून, 2018 से 21 जून, 2018 तक / 15 th June, 2018 to 21 st June, 2018
वार्षिक साधारण बैठक का दिनांक, समय और स्थल/ Date time and venue of Annual General Meeting	गुरुवार, 21 जून, 2018 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 Thursday, 21 st June, 2018 at 10.30 a.m at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501 Shivajinagar, Pune 411005.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005.

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) गुरूवार दिनांक 21 जून 2018 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी :

सामान्य व्यवसाय :

मद क्रमांक 1

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और उसी दिन समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, बैंक के खातों और तुलनपत्र व खातों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।

विशेष व्यवसाय :

मद क्रमांक 2

एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी उगाहना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (“अधिनियम”), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004 (“विनियम”), समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) और/ या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, अनुमतियाँ, यदि कोई हों, के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है, और विनियम यथा सेबी (पूँजी जारी करना और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) की अधिसूचनाओं/परिपत्रों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य लागू कानूनों व अन्य सभी संदर्भित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार यथा संशोधित/ अद्यतन दिशानिर्देशों, यदि कोई हों और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अधीन, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठित की जाने वाली कोई समिति जो अपने अधिकारों तथा इस प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार भारत और विदेशों में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणपत्र या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से बैंक की प्राधिकृत पूंजी सीमा के अंदर ₹10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के, समग्र रूप से जो ₹3000/- करोड़ (तीन हजार करोड़ रुपए मात्र) से अधिक न हों, इक्विटी शेयरों का (फर्म आबंटन के लिए और/अथवा निर्गम का कोई भाग प्रतिस्पर्धा आधार पर और यथासमय लागू कानून द्वारा अनुमत्य श्रेणी के व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधान सहित) इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन करेगा, ताकि हर समय बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% केंद्र सरकार के पास हो, चाहे वे बाजार मूल्य के प्रीमियम पर किसी एक या अधिक ट्रेच, एक या अधिक शेयरधारकों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों (“एनआरआई”), कंपनियों- निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, के लिए हों, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईपी”) जैसे विदेशी सविभाग निवेशकों (“एफपीआई”), बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियों, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थानों या अन्य इकाइयों, प्राधिकारियों या जो वर्तमान विनियमों/ दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की इक्विटी शेयरों / प्रतिभूति में निवेश करने के लिए अधिकृत हों, या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी समिश्र के रूप में हों।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन या तो सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अधिमानी इश्यू या तत्संबंधी समिश्र अनुसार या अधि-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना किया जाए या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2009 (“आईसीडीआर विनियम”) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) व किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे समय, उतनी बार में, ऐसी पद्धति से और ऐसी शर्तों पर किया जाए, जो निदेशक मंडल को उनके पूर्ण विवेकाधिकार से उचित लगता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/ या हामीदारों (अंडरराईटर) और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, आईसीडीआर विनियम के अनुसार निर्धारित ऐसी शर्तों और दिशानिर्देशों, अन्य नियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों के उपबंधों के अनुसार बैंक के निवेशकों(कों), चाहें वे बैंक के मौजूदा शेयरधारक हों या न हों, हेतु ऐसी कीमत या ऐसी रीति से शेयर की कीमत तय करने का अधिकार होगा जो आईसीडीआर विनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कीमत से कम नहीं होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि संबंधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों (एलओडीआर विनियमों), अधिनियम, विनियमों के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर के निवासी द्वारा जारी या हस्तांतरित निर्गम) विनियम 2000 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) और यथावश्यक अन्य सभी प्राधिकारियों (इसके बाद जिसे “समुचित प्राधिकारी” के रूप में

संदर्भित किया जाएगा) से अपेक्षित स्वीकृति, सहमति, अनुमति और/या ऐसा अनुमोदन (इसके बाद जिसे “अपेक्षित अनुमोदन” के रूप में संदर्भित किया जाएगा) प्रदान करते समय उनमें से किसी के भी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, निदेशक मंडल, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, एक या अधिक ट्रेच में, एक योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय आठ में उल्लिखित है, के तहत प्लेसमेंट दस्तावेज/ लेखन / परिपत्र / ज्ञापन और ऐसी पद्धति से और ऐसी कीमत पर, और ऐसी शर्तों पर, जो आईसीडीआर विनियम या यथासमय विद्यमान कानून के अन्य प्रावधानों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की गई हो, योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित किए अनुसार) के लिए वारंट को छोड़कर, इक्विटी शेयर या किसी प्रतिभूति का इस रूप से सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन कर सकता है, जो एक बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में इस प्रकार परिवर्तनीय हों या उनकी अदला-बदली की जा सकती हो, कि किसी भी समय केंद्र सरकार के पास बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51% से कम हिस्सा न हो।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के मामले में -

- क) प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अनुसार केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा, ऐसी प्रतिभूतियां पूरी तरह से प्रदत्त होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों के आबंटन को इस प्रस्ताव की तारीख से 12 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।
- ख) आईसीडीआर विनियमों के विनियम 85(1) के प्रावधानों के अनुसार बैंक, विनियमों के अनुसार अधिकृत आधार मूल्य में अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर शेयर खरीदने की पेशकश कर सकता है।
- ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की प्रासंगिक दिनांक आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार/ भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते / देते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों का अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और/ अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को निर्गमन और आबंटन, यदि कोई हो, यथालागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर होगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त जारी होने वाले नए इक्विटी शेयर, यथासंशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैटके) विनियम, 2004 के अधीन होंगे और हर प्रकार से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश, यदि कोई हो, हेतु पात्र होंगे।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि किसी निर्गम या इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के आबंटन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को, जिन्हें प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना हो, ऐसे निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम के मूल्य, निदेशक मंडल को अपने पूर्ण अधिकार से जो उचित लगे, निर्गम की प्रीमियम राशि तय करने, ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने या सार्वजनिक निर्गम जारी होने, आबंटन और निर्गम आय के उपयोग के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित अनुदेश जारी करने, निदेश देने और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, बैंक के सर्वोत्तम हित में जैसा उचित समझे, नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए और ऐसे संशोधन, परिवर्तन, भिन्नता, सुधार, विलोपन, अतिरिक्त नियम और शर्तें जोड़ने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना इनको प्रभाव देने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है और इस प्रस्ताव द्वारा बैंक व निदेशक मंडल को प्रदत्त कोई या सभी शक्तियों का निदेशक मंडल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को इसके द्वारा किसी भी बुक-रनर (रनर्स)/ अग्रणी प्रबंधकों (कों)/ बैंकर (रों)/ हामीदार (रों)/ निक्षेपक (कों)/ रजिस्ट्रार (रों), लेखापरीक्षक (कों) और इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के ऐसे प्रस्ताव से सम्बद्ध और शामिल ऐसी सभी एजेंसियों के साथ करार करने और ऐसी सभी व्यवस्थाओं को निष्पादित करने के लिए और ऐसी सभी एजेंसियों व संस्थानों को कमीशन, ब्रोकरेज, फीस के माध्यम से उन्हें पारिश्रमिक देने और इसमें प्रवेश भी करने और ऐसी एजेंसियों के साथ व्यवस्थाओं, समझौतों, ज्ञापन, दस्तावेजों, आदि को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल, अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों (अंडरराइटर्स), अन्य सलाहकारों और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से एतद्वारा निर्गम (निर्गमों) के स्वरूप और शर्तों, निवेशकों के वर्ग सहित जिन्हें शेयर/ प्रतिभूतियों का आबंटन किया जाना है, प्रत्येक ट्रेच में आबंटित होने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के उन्मोचन/ वारंट/ प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन की प्रीमियम राशि, ब्याज की दर, शोधन अवधि, परिवर्तित, उन्मोचित या निरस्तकरण के आधार पर अन्य प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, प्रतिभूतियों को जारी करने/ परिवर्तन का प्रीमियम, ब्याज की दर, अभिलेख दिनांक या लेखा बंदी दिनांक और उससे संबंधित आकस्मिक मामले, भारत और/ अथवा विदेशों में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने के बारे में निदेशक मंडल को संपूर्ण विवेकाधिकार में, जैसा उचित समझे, निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनभिदत्त इक्विटी शेयरों को निदेशक मंडल द्वारा उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में, जिस रूप में वह उचित समझे और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत्य हो, इन शेयरों की बिक्री के बारे में निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा निदेशक मंडल को निर्गम जारी करने/ प्रतिभूतियों के संदर्भ में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और इसके बाद अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, वह जैसा उचित समझे, आवश्यक, उचित और वांछित कृत्य, कर्म, कार्य करने और शेयरधारकों के किसी भी आगे अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या प्राधिकृत किए बिना और यह मानते हुए कि प्रस्ताव को प्राधिकृत करते हुए शेयरधारकों ने इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की है, सभी दस्तावेजों व हामियों को यथावश्यक और अपेक्षानुसार निष्पादित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया गया है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा उसे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक(कों) या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे इस उक्त प्रस्ताव को प्रभाव देने हेतु उचित समझे, यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों के प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

मद क्र. 3

31.03.2018 को बैंक की संचयी हानियों का समंजन करना

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा गया तो विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“**प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) जिसमें कोई सांविधिक संशोधन या उसका पुनर्अधिनियमन शामिल है और जो भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और इस संबंध में आवश्यक समझे गए किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरीयों, यदि कोई हो, के अधीन है, के अनुसरण में एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है कि 31.03.2018 को ₹2543,65,86,035 (रुपए दो हजार पांच सौ तिरालीस करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार पैंतीस मात्र) के नामे शेष (संचयी हानियां) के समायोजन हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते को जमा हेतु अंतरण द्वारा 31.03.2018 को बैंक के ‘शेयर प्रीमियम खाते’ को जमा हेतु बकाया शेष के रूप में ₹5293,71,61,193.79 (रुपए पांच हजार दो सौ तिरानवे करोड़ इकहत्तर लाख इकसठ हजार एक सौ तिरानवे और उनासी पैसे मात्र) की राशि में से ₹2543,65,86,035 (रुपए दो हजार पांच सौ तिरालीस करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार पैंतीस मात्र) की राशि उपयोग की जाए, तदनुसार लाभ व हानि खाते में नामे शेष को कम किया जाए और इसे चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ध्यान में लिया जाए।”

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उक्त प्रस्ताव के लिए निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की किसी समिति को एतद्वारा प्रस्ताव के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक वा वांछित माने गए ऐसे सभी कृत्य, कर्म, मामले और कार्य करने और इस संदर्भ में उत्पन्न हो सकनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु, इसके संपूर्ण विवेकाधिकार में प्राधिकृत किया गया है।

मद क्र. 4

शेयरधारक निदेशक का चुनाव

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से **एक** निदेशक का निर्वाचन करना जोकि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (इसके पश्चात ‘‘अधिनियम’’ के रूप में संदर्भित) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके पश्चात ‘‘विनियमन अधिनियम’’ के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (इसके पश्चात ‘‘योजना’’ के रूप में संदर्भित) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (इसके पश्चात ‘‘विनियम’’ के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 और दिनांक 24.11.2016 की अधिसूचना क्र.डीबीआर. एपीपीटी. बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 (इसके पश्चात ‘‘भा रि बैं अधिसूचना’’ के रूप में संदर्भित) और उसमें संशोधन, भारत सरकार के दिनांक 03 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन क्र.एफ.क्र.16/83/2013-बीओ.आई तथा दिनांक 28.04.2015 के एफ क्र.16/51/2012-बीओआई (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश) और 08.07.2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में मीमांसा के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंडों (इसके पश्चात ‘‘भारत सरकार दिशानिर्देश’’ के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और निर्वाचन के पश्चात निम्नलिखित को **सामान्य संकल्प** के रूप में निर्धारित करना और पारित करना :

“**प्रस्ताव किया जाता है कि** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाई गई संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित ----- को एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वह दिनांक 30 जून 2018 से कार्यभार ग्रहण करे और 29 जून 2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य संभालें।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(आर. पी. मराठे)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 04 मई 2018

स्थान : पुणे

टिप्पणियां

1. बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां मद क्र. 2, 3 और 4 संलग्न हैं।

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

शेयरधारक जो वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी (बैंक के कर्मचारी या अधिकारी को छोड़कर) की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियम 2004 के विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी की लिखत प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिशः वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस बैठक से वह लिखत संबंधित हो। प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह इस नोटिस के अनुलग्नक फॉर्म ‘‘बी’’ में न हो।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक (निवेशक सेवाएं), प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पते पर बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात् **शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018** को बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारक है, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए जिसमें वह पारित किया गया हो तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में ऊपर दिए गए पते पर वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से न्यूनतम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018** को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची (उपस्थिति पर्ची) :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची** इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म का उपयोग कर अपने वोट देने का विकल्प उपलब्ध है। यदि उन्होंने ई-वोटिंग सुविधा नहीं ली है तो वे वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक को बैठक स्थल पर निर्वाचन में अपना वोट दे सकते हैं। ऐसे शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे **उपस्थिति पर्ची में मुद्रित ब्यौरों की जांच करें और रिक्त स्थानों, यदि कोई हैं, की पूर्ति करें और उसमें** दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची बैठक के स्थान पर दें। प्रॉक्सी/ शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर ‘‘प्रॉक्सी’’ या ‘‘प्राधिकृत प्रतिनिधि’’ जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें।

जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही अपना वोट दिया है वे बैठक में सहभाग ले सकते हैं किंतु वे बैठक में पुनः अपना वोट देने हेतु पात्र नहीं होंगे।

5. बहियों का बंद होना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही **शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018 से गुरुवार 21 जून 2018** (दोनों दिन मिलाकर) तक वर्ष 2017-18 के लिए 15वीं वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य, यदि कोई है, के लिए बंद रहेंगे।

6. अप्रदत्त / अदावाकृत लाभांश, यदि कुछ हो :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/ अदावाकृत रहती है तो यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित ‘‘निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि’’ (आईईपीएफ), को अंतरित की जाएगी।

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 से अदत्त / अदावाकृत रही लाभांश की ऐसी सभी राशियों को ‘‘निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि’’ (आईईपीएफ) को अंतरित किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए अदत्त/ अदावाकृत शेष रहे लाभांशों का अंतरण निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उक्त निधि में कर दिया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों (वर्ष 2010-11 से आगे) के लिए लाभांश वारंटों को भुनाया नहीं है उन्हें सूचित किया जाता है कि उक्त पते पर बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से या निम्नलिखित पते पर पुणे में बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क करें:

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र),
आफिस क्रमांक 002, तल मंजिल
काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड
मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009
फोन: (022) 40206022/23/24
ई-मेल: subodh@mcsregistrars.com

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
निवेशक सेवाएं विभाग
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
फोन: (020) 25511360
ई-मेल: compsec@mahabank.co.in
investor_services@mahabank.co.in

7. बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया है।

8. शेयरधारकों से अनुरोध :

कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों ने बैंक/ आरटीए में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत नहीं किए हैं उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 और एजीएम नोटिस की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर की सेवाओं का उपयोग कर अलग से भेजी गई हैं और जिन शेयरधारकों ने बैंक / आरटीए में अपने ई-मेल आई-डी पंजीकृत किए हैं उन्हें ई-मेल द्वारा उनके ई-मेल आईडी पर सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं। वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित की गई है। वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट वितरित नहीं की जाएगी अतः सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए।

क. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो कृपया वैध दस्तावेजी साक्ष्यों और समुचित रूप से हस्ताक्षरित सामान्य अनुरोध आवेदन के साथ तत्काल बैंक के पंजीकृत व शेयर अंतरण एजेंट को सूचित करें।

- ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि पते में कोई बदलाव हो तो कृपया केवल अपने निक्षेपी सहभागी को सूचित करें न कि बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को।
- ग. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट से किसी भी प्रकार के संप्रेषण में अपने संबंधित फोलियो क्रमांक/ क्रमांकों (भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) और अपने संबंधित डीपीआईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डी-मैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक) का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।

9. फोलियो का समेकन :

एक से अधिक फोलियो/ खाते के अंतर्गत नामों के समरूप क्रम में भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाणपत्र सहित ऐसे खातों के लेजर फोलियो सूचित करें ताकि वो सभी धारिताओं को एक खाते में समेकित कर सके। आवश्यक पृष्ठांकन करने के पश्चात शेयरधारकों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय वापस कर दिए जाएंगे।

10. भौतिक शेयरों को डी-मैट स्वरूप में बदलना :

भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक अपने शेयरों को डी-मैट रूप में बदल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित निक्षेपी सहभागी से संपर्क करना होगा जिसके पास उनके डी-मैट खाते हैं।

11. अंतरणों का प्रस्तुतीकरण :

अंतरण विलेख/ विलेखों सहित शेयर प्रमाणपत्र बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को अग्रेषित किए जाने चाहिए।

12. स्थिति में बदलाव दर्ज करना :

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित की सूचना दें -

1. स्थायी निवास के लिए भारत वापस आने पर निवास पते में बदलाव
2. पूरे नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता क्रमांक और पिन सहित बैंक के पते के साथ भारत के बैंक खाते के विवरण, यदि पहले प्रदान न किए गए हों।

13. मतदान अधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के **दस प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।**

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रजिस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैटक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैटक में केवल वही कार्यसूची मदों पर रिमोट ई-वोटिंग या वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु पात्र होगा।

14. ई-वोटिंग प्रक्रिया :

1. कार्यसूची मदों 1, 2 और 3 के लिए नियत दिनांक:

यथासंशोधित कंपनियों (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसरण में कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में शेयरधारकों का मतदान अधिकार **गुरुवार, 14 जून 2018** को माना जाएगा।

2. शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट दिनांक (कार्यसूची मद क्र.4)

केंद्र सरकार के अलावा, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले एक निदेशक के निर्वाचन में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने अर्थात् **नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने** हेतु नोटिस में उल्लेख किए अनुसार निर्दिष्ट **शुक्रवार दिनांक 18 मई 2018** निर्धारित की गई है। अतः निर्वाचन के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों की गणना **शुक्रवार दिनांक 18 मई 2018** से की जाएगी।

3. रिमोट ई-वोटिंग :

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं व प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(1) के अनुसरण में नोटिस में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत देने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने के लिए आपके बैंक ने सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म प्रदान करने हेतु केंद्रीय प्रतिभूति सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग सेवाप्रदाता एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायसंगत व पारदर्शी तरीके से आयोजित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। **रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।** निर्दिष्ट दिनांक/ नियत दिनांक को बैंक के शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक, चाहे उनके शेयर भौतिक रूप में हों या डीमटेरियलाइज्ड रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकेंगे। **सोमवार दिनांक 18 जून, 2018 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, दिनांक 20 जून 2018 को शाम 5.00 बजे तक** सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खुली रहेगी **और इसके बाद ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म बंद कर दिया जाएगा।**

I. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति निम्नानुसार है -

1. ई-वोट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें -
 - (i) निम्नलिखित यूआरएल टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर लांच करें - <https://www.evotingindia.com/>
 - (ii) शेयरहोल्डर लॉग-इन पर क्लिक करें

(iii) अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें।

क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का लाभार्थी आईडी

ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अक्षरों का डीपीआईडी जिसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी

ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें

(iv) अगले चरण में प्रदर्शित किए अनुसार ईमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें।

(v) यदि आपने अपने शेयर डीमैट रूप में धारित किए हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है तथा पहले किसी भी कंपनी की वोटिंग में वोट किया है तो आपका विद्यमान पासवर्ड उपयोग किया जाना है।

(vi) यदि आप पहली बार यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करें:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी आपका 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक पैन * प्रविष्ट करें (डीमैट शेयरधारकों के साथ ही भौतिक शेयरधारकों दोनों पर लागू) <ul style="list-style-type: none">जिन सदस्यों ने बैंक/आरटीए/निक्षेपी सहभागी के पास अपना पैन अद्यतन नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले 2 अक्षरों का तथा अनुक्रम क्रमांक (sequence number) के 8 अंकों का उपयोग करें।यदि अनुक्रम क्रमांक 8 अंकों से कम है तो बड़े अक्षरों में नाम के पहले 2 अक्षरों के पश्चात क्रमांक से पूर्व लागू संख्या में शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरण यदि आपका नाम रमेश कुमार है और आपका अनुक्रम क्रमांक 1 है तो पैन फील्ड में RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (डीओबी)	लॉग-इन करने के लिए बैंक/आरटीए के अभिलेख में या आपके डीमैट खाते में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे या जन्म दिनांक (dd/mm/yy प्रारूप में) प्रविष्ट करें। <ul style="list-style-type: none">यदि डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दोनों ही ब्यौरे दर्ज न किए गए हों तो कृपया अनुदेश (iii) में उल्लेख किए अनुसार लाभांश बैंक ब्यौरे फील्ड में सदस्य आईडी/ फोलियो क्रमांक प्रविष्ट करें।

vii) ये ब्यौरे समुचित रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात ‘‘सबमिट’’ टैब पर क्लिक करें।

viii) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य तब सीधे ही बैंक चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तथापि, डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अब ‘‘पासवर्ड क्रिएशन’’ मेनू पर पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग-इन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के, जहां वे वोट करने हेतु पात्र हों, संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु भी उपयोग किया जा सकता है बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। यह पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यधिक सावधानी बरतें।

ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ये ब्यौरे केवल इस नोटिस में शामिल संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं।

x) आपने जिस पर वोट करने का चयन किया है उस संबंधित <BANK OF MAHARASHTRA> के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

xi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको ‘‘रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन’’ दिखाई देगा और उसके सामने वोटिंग के लिए ‘‘हां/नहीं’’ विकल्प होंगे। आवश्यकतानुसार हां या नहीं विकल्प का चयन करें। विकल्प हां यह प्रदर्शित करता है कि आप संकल्प को सहमति देते हैं और विकल्प नहीं यह दर्शाता है कि आप संकल्प से असहमत हैं।

xii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरे देखने के इच्छुक हैं तो ‘‘रिजॉल्यूशन फाईल लिंक’’ पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के लिए

xiii) मतदान पृष्ठ पर नियत दिनांक (14 जून 2018) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी।

xiv) कार्यसूची मद क्र.1, 2 और 3 के संबंध में, आप मामले के अनुसार एसेंट या डिसेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत दें और ‘‘सबमिट’’ पर क्लिक करें और प्रदर्शित होने पर ‘‘कनफर्म’’ पर क्लिक करें।

कार्यसूची मद क्र. 4 के लिए

xv) कार्यसूची क्र. 4 के संबंध में, निर्दिष्ट दिनांक अर्थात 18 मई 2018 को शेयर धारण करने वाले व्यक्ति स्क्रीन पर आनेवाले प्रत्याशी उम्मीदवारों के नामों में से केवल किसी एक व्यक्ति के पक्ष में अपना मत डाल सकते हैं। एक से अधिक व्यक्ति को मत देने से आपका मत अवैध हो जाएगा। उचित विकल्प का चयन करके अपना मत डालें और ‘‘सबमिट’’ पर क्लिक करें तथा प्रदर्शित होने पर ‘‘कनफर्म’’ पर क्लिक करें।

xvi) जिस संकल्प पर वोट करने का आपने निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात ‘‘सबमिट’’ पर क्लिक करें। एक पुष्टि (कन्फर्मेशन) बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ‘‘ओके’’ पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट में परिवर्तन करने के लिए ‘‘केन्सल’’ पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

- xvii) एक बार संकल्प पर अपना वोट “कन्फर्म” करने के पश्चात आपको अपने वोट में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- xviii) आप वोटिंग पृष्ठ पर “क्लिक हियर टू प्रिंट” विकल्प पर क्लिक कर किए गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- xix) यदि कोई डीमैट खाताधारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाता है तो अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें, छवि सत्यापन (इमेज वेरिफिकेशन) कूट प्रविष्ट करें और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किए अनुसार ब्यौरे प्रविष्ट करें।

xx) **गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए नोट**

- क) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (वैयक्तिकों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि को छोड़कर) और अभिरक्षकों से अनुरोध है कि www.evotingindia.com पर लॉग-इन करें और स्वयं को कॉर्पोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
- ख) इकाई के हस्ताक्षर और मुहर वाले पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जाए।
- ग) लॉग-इन ब्यौरे प्राप्त होने के पश्चात एडमिन लॉग-इन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कम्प्लायन्स यूजर निर्मित किया जाए। कम्प्लायन्स यूजर उस खाते(खातों) को लिंक करने में समर्थ होगा जिनके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं।
- घ) लॉग-इन में लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट डालने में समर्थ होंगे।
- ङ) बोर्ड रिजोल्यूशन और मुख्तारनामा (पीओए) जो उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन प्रति संवीक्षक के सत्यापन हेतु प्रणाली में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड की जानी चाहिए।
2. यदि ई-वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका है या मुद्दा है तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल कर सकते हैं।
3. कोई व्यक्ति, जो नोटिस प्रेषित करने के बाद बैंक के शेयर लेता है और बैंक का शेयरधारक हो जाता है और जो नियत दिनांक अर्थात् 14 जून 2018 को शेयर धारित करता है तो वह पंजीयक व शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (आरटीए)/ बैंक को या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के पास पंजीकृत हैं तो आप अपना मत देने के लिए अपना वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प “फॉरगॉट यूजर डीटेल/ पासवर्ड” का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या टोल फ्री क्रमांक 1800-200-5533 पर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं।
4. शेयरधारक अद्यतित ई-वोटिंग अनुदेशों के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के मुख-पृष्ठ पर निवेशक संबंध लिंक को भेंट दे सकते हैं।

4. वार्षिक साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया :

रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही **वार्षिक साधारण बैठक** में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा कार्यसूची मदों पर वोटिंग की जाएगी। जिन व्यक्तियों ने रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प लागू नहीं किया है वे बैठक के दिनांक को **वार्षिक साधारण बैठक** के स्थल पर आयोजित मतदान में सहभाग लेने और मत देने हेतु पात्र होंगे।

5. वार्षिक साधारण बैठक में संवीक्षक :

15वीं वार्षिक साधारण बैठक में आयोजित वोटिंग प्रक्रिया के लिए कार्यसूची मद क्रं 1, 2 और 3 के संबंध में अन्य शेयरधारकों के साथ मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई संवीक्षक का कार्य करेंगे। कार्यसूची मद क्र. 4 के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा उक्त कार्य हेतु नियुक्त एक स्वतंत्र परामर्शक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी और इसकी देखरेख केंद्र सरकार के नामित द्वारा प्रेक्षक के रूप में की जाएगी।

6. ई-वोटिंग का परिणाम और बैठक में मतदान :

वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग के परिणामों को रिमोट ई-वोटिंग के परिणामों से समेकित कर अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा करने के तत्काल बाद सीडीएसएल की वेबसाइट पर और बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर जारी किया जाएगा। ये परिणाम तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण कथन :

मद क्र. 2 : एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से पूंजी की उगाही

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार बैंक को 31.03.2019 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम भारत आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 11.50% सीआरएआर बनाए रखना है, जिसमें 5.50% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टायर I पूंजी (सीईटी 1) की एक शर्त शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बैंकों को मार्च 2016 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष 0.625% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) प्रदान करना चाहिए और यह सीसीबी सीईटी 1 के रूप में होना चाहिए। बेसल III ढांचे के अनुसार 31.03.2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.00% था जिसमें 8.97% के (सीसीबी सहित) सीईटी 1 के साथ टायर-I पूंजी (सीसीबी सहित) 9.01% थी। सीसीबी के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वार्षिक व्यवसाय वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक ने ₹ 3000/- करोड़ की पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है।
- (ii) उपर्युक्तानुसार आवश्यक पूंजी को केंद्र सरकार से पूंजी सहयोग सहित एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन इत्यादि के माध्यम से बाजार से उगाहा जाना प्रस्तावित है। इन विकल्पों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और विद्यमान बाजार स्थितियों के अनुसार किया जाएगा।

- (iii) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य ऐसे प्राधिकारियों के अनुमोदन से और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुमोदन एवं सेबी तथा सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संगत दिशानिर्देशों/ विनियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित इक्विटी पूंजी उगाही जाएगी।
- (iv) निदेशक मंडल ने 4 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ₹ 3000/- करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित) की इक्विटी पूंजी की उगाही करने को अपना अनुमोदन प्रदान किया गया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- (v) एफपीओ/ राइट्स इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू इत्यादि के माध्यम से ₹ 2000/- करोड़ तक पूंजी उगाहने के लिए 16 जून, 2017 को आयोजित 14वां वार्षिक साधारण बैठक में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। सेबी विनियमों के अनुसार संकल्प की वैधता ऐसे क्यूआईपी के लिए बारह माह हेतु प्रतिबंधित है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शेयरधारकों का अनुमोदन एतद्वारा एक बार पुनः मांगा जाता है।
- (vi) बैंक की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए बैंक भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर रहा है।
- (vii) जारी इक्विटी शेयरों को लाभांश सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से समरूप रैंक किया जाएगा।
- (viii) बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अलावा उपर्युक्त संकल्प में बैंक के किसी भी निदेशक / मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति की कोई रुचि अथवा सरोकार नहीं है।

मद क्र. 3 : 31.03.2018 को बैंक की संचयी हानियों के समंजन:

- (i) 31.03.2018 को बैंक की संचयी हानियों के समंजन के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के जमा में बकाया राशि के उपयोग का बैंक प्रस्ताव करता है।
- (ii) तदनुसार बैंक 31.03.2018 को ₹2543,65,86,035 (रुपए दो हजार पांच सौ तिरालीस करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार पैंतीस मात्र) के नामे शेष (संचयी हानियां) के समायोजन हेतु बैंक के लाभ व हानि खाते को जमा हेतु अंतरण द्वारा 31.03.2018 को बैंक के 'शेयर प्रीमियम खाते' को जमा हेतु बकाया शेष के रूप में ₹5293,71,61,193.79 (रुपए पांच हजार दो सौ तिरानवे करोड़ इकहतर लाख इकसठ हजार एक सौ तिरानवे और उनासी पैसे मात्र) की राशि में से ₹2543,65,86,035 (रुपए दो हजार पांच सौ तिरालीस करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार पैंतीस मात्र) की राशि उपयोग किए जाने का प्रस्ताव करता है, जिसके लिए तदनुसार लाभ व हानि खाते में नामे शेष को कम किया जाए और इसे चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ध्यान में लिया जाए।
- (iii) उक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम कमी, यदि अनुमोदित होती है और उसे अंतिम रूप दिया जाता है, का प्रभाव तदनुसार कम किया जाएगा जो वह संचयी हानि होगी जो 31.03.2018 को ₹2543.65 करोड़ रही।
- (iv) उक्त समंजन बैंक की वित्तीय स्थिति की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करेगा और किसी भी अनुपात जैसे कि प्रति शेयर अंकित मूल्य, इक्विटी पर वापसी (आरओई), प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) को प्रभावित नहीं करेगा।
- (v) उक्त समंजन बैंक को इसकी संवितरणयोग्य आरक्षितियों के सुधार हेतु सहायक होगा। साथ ही बैंक अपनी सही वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने में सक्षम होगा जो शेयरधारकों के लिए लाभकारी होगा क्योंकि उनकी धारिताएं बेहतर मूल्य अर्जित करेंगी और साथ ही बैंक को उसके शेयरधारकों के लाभ हेतु और अधिक अवसरों की प्राप्ति में भी सक्षम बनाएगा जो एक व्यवहार्य समय-सीमा के भीतर लागू प्रावधानों के अनुसार लाभांश भुगतान के रूप में शामिल होगा। यह प्रस्ताव बैंक को एक समयबद्ध तरीके से अपनी टर्न अराउंड योजनाओं को प्राप्त करने हेतु बेहतर स्थिति में लाएगा।
- (vi) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार कोई प्रदत्त पूंजी जो गुम गई है या उपलब्ध आस्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, के निरस्तकरण द्वारा इसकी प्रदत्त पूंजी को कम करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है या शेयर प्रीमियम खाते के समक्ष संचयी हानियों के समंजन हेतु प्रतिबंध नहीं है।
- (vii) चूंकि संचयी हानियों के समंजन के उद्देश्य हेतु बैंक के शेयर प्रीमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग एक पूंजी कमी माना जाना है, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2 बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से मांगा जा रहा है जो शेयरधारकों के अनुमोदन के साथ एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक की प्रदत्त पूंजी की कमी की अनुमति देता है।
- (viii) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(2) के अनुसार जब बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी राशि या राशियों का विनियोजन करता है तो यह ऐसे विनियोजन के दिनांक से इक्कीस दिनों के भीतर होगा और ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों को विस्तार से बताते हुए तथ्य की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को की जाएगी। बैंक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन करेगा।
- (ix) शेयर प्रीमियम खाते की कमी जिसमें शेयर प्रीमियम खाते के जमा हेतु बकाया राशि की कमी द्वारा लाभ व हानि खाते में नामे शेष का समंजन शामिल है, अपने शेयरधारकों के प्रति बैंक द्वारा किसी प्रतिफल के उन्मोचन का पात्र नहीं होती। तदनुसार बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयर प्रीमियम खाते की कमी पश्चात शेयरधारिता पद्धति अपरिवर्तित रहेगी।

क्र.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते की कमी से पूर्व		शेयर प्रीमियम खाते की कमी के पश्चात	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1	प्रवर्तक की धारिता : भारत सरकार	2260923433	87.01	2260923433	87.01
2	गैर प्रवर्तक धारिता : पब्लिक	337530974	12.99	337530974	12.99
	कुल	2598454407	100.00	2598454407	100.00

- (x) शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रहित रूप से प्रभावित नहीं होंगे। निदेशक मंडल ने 04 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक और इसके शेयरधारकों के श्रेष्ठ हित के लिए शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है और नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- (xi) बैंक का कोई भी निदेशक/ प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर ऊपर उल्लिखित प्रस्तावों में रुचि नहीं रखता है या कोई सरोकार नहीं है।

मद क्र. 4 : एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव :

- (i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार जहां धारा 3 की उप धारा 2(बी) के खंड (सी) के अधीन निर्गम पूंजी, कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से कम होती है तो निदेशक मंडल में शेयरधारकों द्वारा उनके बीच से चयनित एक निदेशक होना चाहिए जोकि केन्द्र सरकार के निदेशक के अतिरिक्त होगा।
- (ii) उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार के अलावा शेयर धारकों के बीच से चयनित एक निदेशक की नियुक्ति हेतु पात्र है। वर्तमान में बैंक के निदेशक मंडल पर एक शेयर धारक निदेशक है। श्री आर. तामोधरन शेयरधारक निदेशक की कार्यअवधि 29.06.2018 को समाप्त होगी।
- (iii) निदेशक मंडल ने 04 मई 2018 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों के एक निदेशक की एक रिक्ति, जो 30.06.2018 से उत्पन्न होगी, को भरने हेतु चुनाव के आयोजन को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा नोटिस में किए गए उल्लेखानुसार संकल्प पारित करने की सिफारिश की।
- (iv) अतः केन्द्र सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न संगत अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ निदेशों के अंतर्गत उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार, शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त), अपने नामांकन भेज सकते हैं। उम्मीदवारी हेतु सभी प्रकार से पूर्णतः भरे हुए नामांकन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा नामांकन की संवीक्षा पूरी की जाएगी।
- (v) सभी प्राप्त नामांकनों की संवीक्षा करने के बाद यदि केवल एक नामांकन वैध पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित समझा जाएगा तथा निर्वाचित होने के संबंध में उसका नाम एवं पता प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अथवा मामले में जब कोई भी नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो वार्षिक साधारण बैठक की कार्यसूची की मद क्रमांक 4 पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। नवनिर्वाचित निदेशक 30 जून 2018 से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।
- (vi) यदि एक से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होता है तो उम्मीदवारों के नाम समाचारपत्र में पब्लिश किए जाएंगे और निर्वाचन होगा तथा जिस उम्मीदवार को अधिसंख्यक वोट, अर्थात् बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग और ई-वोटिंग का समग्र, प्राप्त होंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा तथा उसके नाम की घोषणा की जाएगी और समाचारपत्र में पब्लिश किया जाएगा।

विधिक प्रावधान :

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों/ विनियम/ योजना/ अधिसूचनाओं में शामिल प्रावधान प्रदर्शित किए गए हैं :

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन -ई) धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पर्याप्त ब्याज ➤ सामान्य निदेशकों का निषेध ➤ इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध ➤ समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता।
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) और धारा 9(3 एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध ➤ शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए। ➤ इस प्रकार चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, उसे हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार। ➤ निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि ➤ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता ➤ निदेशक के कार्यालय की रिक्ति ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना ➤ चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना ➤ कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा, जिनके लिए वे इच्छुक हैं, हितों का विगोपन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2004	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन ➤ साधारण बैठक में मतदान ➤ निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकनों की संवीक्षा ➤ निर्वाचन से संबंधित विवाद ➤ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➤ प्रॉक्सियां
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी .बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा 24.11.2016 की अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29. 39.001/16-17 तथा अनुवर्ति अधिसूचनाएं	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त तथा उचित मानदंड
वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सं. क्र.16/83/2013-बीओ.आई द्वारा जारी 03 सितंबर 2013 का पत्र और 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड, 28 अप्रैल, 2015 के भारत सरकार के पत्र एफ.क्र. 16/51/2012-बीओ.आई और दिनांक 20 जुलाई, 2016 और उसमें अनुवर्ति संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पठित		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त मापदंड
01 जुलाई 2015 का भा रि बैं मास्टर परिपत्र		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण व अग्रिम प्रदान करना
सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित		स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना/ विनियम और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी. क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और 24.11.2016 की अधिसूचना क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/16-17 इसके साथ संलग्न हैं तथा और भारत सरकार के दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध होंगे, जिसे यूजर द्वारा देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसा सारांश इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल किया जाएगा जब नामांकन फॉर्मों के प्रस्तुतिकरण के लिए निर्धारित दिनांक अर्थात् बुधवार, 06 जून 2018 को या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में compsec@mahabank.co.in पर कंपनी सचिव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पते पर अनुरोध प्राप्त हो।

क. निर्वाचन में सहभाग :

विनिर्दिष्ट दिनांक अर्थात् शुक्रवार 18 मई 2018 को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त किए अनुसार लाभार्थी स्वामियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामवाले शेयरधारकों को केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर शेयरधारकों के बीच से निदेशकों के निर्वाचन में **नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट** करने का अधिकार होगा।

यह नोट किया जाए कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में सहभाग लेने हेतु पात्र नहीं है किंतु समीक्षक के रूप में एजीएम में सहभाग ले सकते हैं।

ख. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार तथा जो अधिनियम की धारा 9(3) (आई) के अंतर्गत निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -

(क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा। (भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24 नवंबर 2016 के अपने परिपत्र क्र. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 द्वारा बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचारार्थ लिए जा सकने वाले व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्र में विस्तार किया है जिसमें शामिल है (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान व निपटान प्रणालियां (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन)

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, या

(ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो

अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति, ऐसे निर्धारण की पद्धति, ऐसा निर्धारण किए जाने हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसी कोई अन्य पद्धति जो उसमें आवश्यक या आकस्मिक मानी जा सकती हो का भी निर्धारण किया जा सकता है।

साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसविदा का विलेख निष्पादित किया जाना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता :

1. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा -

(क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इस भुगतान से संबद्ध हो, या

(ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या

(ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या

(घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ड) व (च) के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर पद धारित करता है।

2. यदि उसे बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी. क्र.46/29.39.001/2007-08 व अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.47/29.39.001/2007-08, दिनांक 23.05.2011 की क्र.डीबीओडी.बीसी. क्र.95/29.39.001/2010-11 तथा दिनांक 24.11.2016 की डीबीआर.एपीपीटी. बीसी.क्र.39/29.39.001/2016-17 और दिनांक 20.07.2016 और 28.04.2015 के भारत सरकार के दिशानिर्देशों क्र. एफ. क्र.16/51/2012-बीओ-आई के साथ पठित और 03 सितंबर, 2013 के ओएम के अनुसार 'उपयुक्त और उचित' व्यक्ति नहीं पाया गया।

ग. शेयरधारकों की सूची :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बेटकें) विनियम 2004 के विनियम 64 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप यथा सीडी अथवा अन्य कोई माध्यम से) निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में शेयरधारकों द्वारा ₹10,000/- (रुपए दस हजार केवल) के पूर्व भुगतान पर सीडी पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में तथा इसकी मुद्रित प्रति 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' के पक्ष में पुणे में देय अनुसूचित बैंक के ₹50,000 (रुपए पचास हजार केवल) के मांग ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के द्वारा दिनांक 21 मई, 2018 से उपलब्ध की जाएगी। उक्त सूची को खरीदने वाले इच्छुक उम्मीदवार महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को संबोधित पत्र द्वारा अनुरोध करेंगे तथा यह वचन भी देंगे कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

घ. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण :

शेयरधारकों के रजिस्टर का शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण करने हेतु यह रजिस्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार एवं बैंक अवकाश को छोड़कर) को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा ताकि प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भी भाग का उद्धरण प्राप्त कर सकें।

यदि कोई शेयरधारक प्रतिलिपि अथवा चुने हुए भाग/ अंश के कम्प्यूटर प्रिंट की मांग करता है तो उसे ₹5/- प्रति 1,000 शब्द अथवा उसके अनुपात में भुगतान करने पर वह उपलब्ध की जाएगी।

ड. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

नियमावली के विनियम 65, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/ 29.39.001/ 2007-

08 के साथ पठित दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/ 2010-11, दिनांक 24.11.2016 की डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.क्र.39/ 29.39.001/ 2016-17 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी 03 सितंबर, 2013 के पत्र संदर्भ फा.सं. 16/ 83/ 2013-बीओ-1 और 28.04.2015 तथा 20.07.2016 (भारत सरकार दिशानिर्देश) को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक पर विचार करने संबंधी केन्द्र सरकार द्वारा गठित मानदंड एवं विभिन्न अधिनियमों/ दिशानिर्देशों/ निर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक के रूप में चयन हेतु उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि :-

- क) वह बैंक का शेयरधारक है तथा **शुक्रवार, दिनांक 18 मई, 2018** जोकि चुनाव में सहभागिता की **विशिष्ट तारीख** निश्चित की गई है, को उसके पास बैंक के 100 (एक सौ) से अधिक शेयर हैं तथा बैठक की तारीख तक, तत्पश्चात यदि वह चुना जाता/ जाती है तो उसका कार्यकाल समाप्त होने तक वह न्यूनतम 100 शेयर धारित करता/ करती है।
- ख) **बुधवार, दिनांक 06 जून, 2018** जो कि नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख है को वह अधिनियम/ योजना/ विनियम/ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं/ भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं माना जाता है।
- ग) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र बैंक के कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक, जो कि एक कंपनी है, द्वारा एक नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जब यह बनाया जाए तो जिस बैठक में यह पारित हुआ हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन पत्रों के साथ उम्मीदवार का घोषणापत्र जिसका नमूना उपलब्ध किया गया है जो कि उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, दंडाधिकारी, एश्योरेन्स के रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसमें वह घोषणा करेगा/ करेगी कि उसने नामांकन स्वीकार किया है तथा चुनाव हेतु खड़ा होने के लिए इच्छुक है तथा उसे अधिनियम अथवा विनियामक अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमों अथवा भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के अधीन निदेशक के रूप में अयोग्य करार नहीं दिया गया है। साथ ही, उसे अपने वैयक्तिक ब्यौरे (बायो डाटा) पर हस्ताक्षर करके यह पुष्टि करनी होगी कि उसकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार यह ब्यौरे सत्य हैं तथा वह यह वचन भी देगा/ देगी कि यदि घोषणा करने के उपरांत इनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वह पूर्ण रूप से संगत जानकारी यथाशीघ्र बैंक को सूचित करेगा/ करेगी।
- ङ) नामांकनपत्र एवं घोषणापत्र विनियम में निर्धारित किए अनुसार और इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार हैं (यह प्रारूप बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है।)
- च) उसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2004 (जिसे अब से "विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) तथा भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 01.11.2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.46 और 47/ 29.39.001/ 2007-08 के एवं दिनांक 23.05.2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/ 29.39.001/ 2010-11 तथा भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में विचारार्थ जारी 20.07.2016 के दिशानिर्देशों (अब "भारत सरकार दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित 28.04.2015 के पत्र क्र.एफ.क्र.16/51/2012-बीओ-आई और अनुवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयन हेतु उसे अयोग्य करार नहीं दिया गया है।

च. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण :

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में, जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "**शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - एजीएम 2018**", महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सहित वार्षिक साधारण बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात् **बुधवार, 06 जून 2018 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात् सायं 5.00 बजे से पूर्व** निम्नलिखित प्रस्तुत करें।

(क) विधिवत भरा हुए घोषणा फॉर्म

(ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन

(ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा क. बायोडेटा, ख. शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाणपत्र ग. कार्य अनुभव आदि की स्व- प्रमाणित प्रतियों के साथ नोटिस से संलग्न प्रारूपों में उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज हर तरह से पूर्ण हो जिसमें कोई भी चूक होने से इसे निरस्त किया जाएगा।

छ. नामांकनों की जांच और निदेशकों का निर्वाचन :

क) विनियमों में शामिल शर्तों के साथ नामांकन की पुष्टि हेतु गुरुवार दिनांक 07 जून 2018 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि नामांकन अवैध पाए जाते हैं तो कारणों को दर्ज करते हुए उन्हें निरस्त किया जाएगा।

ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007, 23.05.2011 और 24.11.2016 के उपयुक्त और उचित विषय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भी निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी) वैध नामांकनों की संवीक्षा करेगी।

ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर विचार करने के लिए भारत सरकार की सूचना की शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों की

उपयुक्त व उचित स्थिति का निर्धारण करते समय नामांकन समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.04.2015 तथा 20.07.2016 को जारी केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों को भी ध्यान में रखेगी।

- घ) बैंक एनसीबी द्वारा सलाह दिए अनुसार या नामांकनों की संवीक्षा करते समय उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में कुछ और जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।
- ड) यदि एनसीबी द्वारा उपयुक्त व उचित स्थिति हेतु केवल **एक ही** उम्मीदवार पाया जाता है तो उक्त उम्मीदवार को उसके कार्यालय में कार्यग्रहण के दिनांक से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम, पता इस प्रकार के चुने गए उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की घटना होने पर या एनसीबी द्वारा कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त व उचित न पाए जाने पर वार्षिक साधारण बैठक में कार्यसूची की मद क्र. 4 आयोजित नहीं की जाएगी। दिनांक 30 जून 2018 से नया चयनित निदेशक कार्यभार ग्रहण करेगा।
- च) यदि एनसीबी द्वारा उपयुक्त व उचित स्थिति हेतु एक से अधिक उम्मीदवार पाए जाते हैं तो उम्मीदवारों के नाम बैंक की वेबसाइट, सीडीएसएल ई-वोटिंग पोर्टल और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा। अधिकतम मत पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

ज. उम्मीदवारी को वापस लेना :

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह किसी भी समय किंतु **शुक्रवार 15 जून 2018** को दोपहर 2.00 बजे से पूर्व महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को पत्र भेजकर या boardsec@mahabank.co.in अथवा compsec@mahabank.co.in पर स्कैन कॉपी और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकता है।

झ. विवाद :

यदि कोई विवाद है तो उसका निराकरण यथा संशोधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

ञ. निष्कर्ष :

शेयरधारकों के लाभार्थ लागू अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना/ दिशानिर्देशों के संबंधित भाग का निष्कर्ष बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर प्रकाशित किया जाएगा। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसको डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को compsec@mahabank.co.in पर लिखकर इसकी प्रति हासिल कर सकते हैं।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लेख किए अनुसार सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक वर्तमान निदेशकों को कार्यसूची मद से संबंधित या इच्छुक माना जा सकता है यदि वे चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



(आर. पी. मराठे)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 04 मई, 2018

स्थान: पुणे

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
नामांकन फॉर्म
(शेयरधारक द्वारा)

अ.क्र.

(विनियमावली के विनियम 65 (i) (घ) का संदर्भ लें)

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411005

प्रिय महोदय,

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

आपके दिनांक 04 मई 2018 की सूचना के संदर्भ में, मैं _____ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018 (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विनिर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्रत्येक के _____ इक्विटी शेयरों (पूर्णतः भुगतान किए गए) का शेयरधारक हूँ। पुणे में गुरुवार दिनांक 21 जून 2018 को आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में निर्वाचन करने हेतु श्री/श्रीमती _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____ को जो _____ के निवासी हैं, उन्हें एतद्द्वारा नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड़ दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन को रद्द किया जा सकता है।

घोषणा
(उम्मीदवार के द्वारा)
(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____ निवासी _____, एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूँ कि:

- क. मैं **शुक्रवार, दिनांक 18 मई 2018** को अर्थात् निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई **विनिर्दिष्ट तिथि** को बैंक के रु.10/- प्रत्येक के ----- -- ईक्विटी शेयरों का धारक हूँ तथा यदि निर्वाचित हुआ तो, मेरे कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा;
- ख. मुझे *(1) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (2) बैंकिंग, (3) सहकारिता, (4) अर्थशास्त्र, (5) वित्त, (6) विधि (7) लघु उद्योग, अथवा ----- (का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा) का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूँ तथा
- ग. मैं _____ से _____ क्रमांकित नामांकन को स्वीकार करता हूँ;
- घ. मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ;
- ङ. मुझे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बँडके) विनियम, 2004 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में विचारार्थ भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और
- च. मैं न तो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हूँ और न ही किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ; और मैं यह भी घोषित करता हूँ कि
- छ. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी के रूप में घोषित नहीं किया गया है।
- ज. मुझे किसी भी समय दीवालिया नहीं माना गया है या लेनदार के साथ गणना नहीं की गई है अथवा ऋण अदा नहीं करने वाला नहीं माना गया है।
- झ. मुझे कभी भी विक्षिप्त अथवा अस्वस्थ मन का नहीं पाया गया है और न ही ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया है और मुझे आपराधिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी अपराध के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो और
- ञ. मैं किसी भी प्रकार की किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पैराबैंकिंग गतिविधियों, एम.पी., एम.एल.ए., एम.एल.सी. और स्टॉक ब्रोकर से संबद्ध नहीं हूँ।
- ट. मैं किसी भी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ।
- ठ. मैं पूर्व में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान या भारतीय रिजर्व बैंक या बीमा कंपनी के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में दो टर्म के लिए अथवा छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो चाहे विराम के साथ या निरंतर निदेशक नहीं रहा हूँ।
- ड. मैं पूर्व में इस बैंक के निदेशक मंडल पर किसी भी श्रेणी में दो टर्म के लिए अथवा छह वर्ष के लिए, जो भी अधिक हो निदेशक नहीं रहा हूँ।
- ढ. चयन होने के तुरंत बाद मैं बैंक के साथ पेशेवर संबंध, यदि कुछ हो, से पृथक हो जाऊंगा और निदेशक के रूप में मेरी अवधि के दौरान और इसके उपरांत दो वर्ष की अवधि हेतु बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा।
- ण. मैं इस घोषणा के बाद यहां दी गई जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभव शीघ्र अवगत कराने का तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचित होने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ।
- त. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारित करने तक समय समय पर संशोधित सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं एवं विगोपन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

ध. मैं अन्य कंपनियों/ बैंकों में मेरे वर्तमान व अतीत के निदेशकत्व के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत करता हूँ।

कंपनी, बैंक इत्यादि का नाम	निदेशकत्व के ब्यौरे यथा अवधि, कार्यकाल

द. मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जोकि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हर तरह से पूर्ण और सही है, तथा

नाम		
हस्ताक्षर		
शेयरों की संख्या		
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)		डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)
स्थान		
दिनांक		

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

नाम : _____

तिथि : _____

मुहर के साथ हस्ताक्षर

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ऐश्वर्योरेस के रजिस्ट्रार अथवा सब- रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या -----
(बैंक ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।

* जो भी लागू हैं उसे चिन्हित करें

नोट - समुचित रूप से संशोधित करें/ हटाएं, यदि आवश्यक हो

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म)

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र

बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यहां पासपोर्ट
आकार का
फोटो चिपकाएं

..... 2018 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र	
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण
क.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
	पिता का नाम (पूरा)
ख.	जन्मतिथि
ग.	शैक्षिक योग्यता
	शैक्षिक / अकेडमिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें)
	शैक्षिक / व्यावसायिक (कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोड़ें)
घ.	संबंधित पृष्ठभूमि व अनुभव (वर्षों में) (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3ए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार) (कृपया बैंक के निदेशक पद से संबंधित अपना अनुभव दर्शाएं)
ङ.	स्थायी पता
च.	वर्तमान पता (पत्राचार के लिए)
छ.	ई-मेल आई डी
	टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाइन)
	टेलीफोन क्रमांक (मोबाईल)
ज.	1. आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (प्रति जोड़ें). 2. आय कर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरण फाइल की जाती है वहां का नाम व पता।
झ.	संबंधित ज्ञान व अनुभव (बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार).
ञ.	अन्य कोई जानकारी जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो तथा उम्मीदवार देना चाहता हो.
II.	उम्मीदवार के सुसंगत संबंध
क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) के साथ पठित कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्दिष्टीकरण) नियम, 2014 के नियम 4 (कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 1ए और धारा 6)
ख.	इकाईयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनके हित - निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और धारा 49)2 का संदर्भ लें) (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3)299)(ए) व धारा 300)।
ग.	प्रस्तावित व विद्यमान इकाइयों की ऐसी सूची, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) के अर्थ के अनुसार उम्मीदवार का हित समझा जाए
घ.	बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का सदस्य है/ रह चुका/ चुकी है (ऐसी सदस्यता/निदेशक पद के धारण की अवधि दें)।
ङ.	II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार और/ अथवा इकाईयों द्वारा बैंक से निधि आधारित और गैर निधि सुविधाएं, इस समय उपयोग की जा रही हैं
च.	ऐसे मामले, यदि कुछ हो, जहां उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाइयां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता हो या पूर्व में चूककर्ता रहे हों।

III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख	
क.	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV.	उम्मीदवार के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो	
क.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो।	
ख.	उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरुद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या प्रारंभ या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कुछ हो तो।	
ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्योरा।	
घ.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के साथ पठित (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?	
ङ.	क्या उक्त II (ख) और (ग) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के संदर्भ पर किसी जांच के अंतर्गत रखा गया है ?	
च.	क्या उम्मीदवार किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनियम/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें।	
छ.	क्या उम्मीदवार ने किसी भी समय किसी नियंत्रक यथा सेबी, आईआरडीए, डीसीए, भारिबैंक, एमसीए, एफईएमए, सिबिल आदि से प्रतिकूल सूचना प्राप्त की है। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबकि वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा परिसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी है और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए।)	
V.	मद क्र. I से III के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / जानकारी तथा अन्य जानकारी जो पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु सुसंगत समझी जाए	

वचनपत्र	
मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....	
पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन के उपरान्त संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, जोकि उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूँ। मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित विधिक विलेख के निष्पादन का भी वचन देता हूँ।	
दिनांक :	
स्थान :	उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें।
2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

बैंक की नामांकन समिति के अवलोकन / अभ्युक्तियां :

समिति के सदस्य	समिति के सदस्य	समिति के सदस्य	समिति के सदस्य
स्थान :			
दिनांक :			



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास
गुरुवार, दिनांक 21 जून 2018 को सुबह 10.30 बजे
अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में
15वीं वार्षिक साधारण बैठक

उपस्थिति पर्ची
(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सौंपा जाना है)

एतद्वारा मैं बैंक की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य /प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

गुरुवार, दिनांक 21 जून 2018 को सुबह 10.30 बजे
अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501 शिवाजीनगर, पुणे 411005 में
15वीं वार्षिक साधारण बैठक

प्रवेश पास

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाए)

स्पष्ट अक्षरों में नाम (सदस्य /प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो / डीपीआईडी / ग्राहक आईडी क्र.	धारित शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

शेयरधारकों /प्रॉक्सीधारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास को बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए विधिवत हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पास का हिस्सा शेयरधारकों / प्रॉक्सीधारकों /प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा जो उन्हें बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना है।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

प्रधान कार्यालय : “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005.

फॉर्म बी

प्रॉक्सी फॉर्म

विनियमों के विनियम 70(iii) के अनुसार
(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने व हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो क्र.		डीपी आईडी क्र.	
		ग्राहक आईडी क्र.	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	

मैं/हम _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____
निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को अथवा
इनके न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ को **गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2018** को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब
जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे, 411005 में आयोजित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हितधारकों की 15 वीं वार्षिक साधारण बैठक
और इसके स्थगित होने पर होनेवाली बैठक में मेरे/ हमारी ओर से और मेरे/ हमारे लिए वोट करने हेतु मेरे/ हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करती हूँ।
वार, दिनांक _____ 2018 को हस्ताक्षरित

नाम : _____
पता : _____

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकिट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

(पहले नाम वाले / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि -
 - वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में इस पर उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हों। यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए अधिकार/ एक समुचित प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसके नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया जाना है, संलग्न की जानी है।
- प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए, यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश, मॅजिस्ट्रेट, एश्वोरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो।
- प्रॉक्सी फॉर्म
 - मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति के साथ 15वीं वार्षिक साधारण बैठक के दिनांक से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018 को कार्य-समाप्ति समय शाम 5.00 बजे** या उससे पूर्व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, निवेशक सेवाएं विभाग, “लोकमंगल”, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 के पास जमा हो जाना चाहिए।
- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो।
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी।
- यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में विकल्पस्वरूप दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता।
- एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को 15वीं वार्षिक साधारण बैठक में स्वयं मत देने की पात्रता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है।
- ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

Bank of Maharashtra

Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

Notice

Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Thursday, the 21st June, 2018 at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2

To raise Equity Capital through FPO/Rights issue/QIP/ Preferential issue etc.,

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations"), as amended up to date / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**") which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document /prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10 each, aggregating to not more than ₹3000/- crore (Rupees Three Thousand Crore only) being within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, 1970, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the Shareholders, Employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies - private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be either by way of Public issue, Rights issue, Qualified Institutional Placements (QIPs), Preferential issue or in combination thereof with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("**ICDR Regulations**") and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to issue shares to investors at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations), the Act, the provisions of the Regulations, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017 and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "**the Appropriate Authorities**") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission and / or sanction (hereinafter referred to as "**the requisite approvals**") the Board may, at its absolute discretion, create, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government

at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and/or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time.

RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement (QIP) pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.
- b) the Bank is pursuant to proviso to Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares/securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended and shall rank in all respects *paripassu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / securities, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares/securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deem fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these equity shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorisation to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or to Executive Director(s) or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Item No. 3:

To set off the accumulated losses of the Bank as of 31.03.2018.

TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, PASS, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949, including any statutory amendments or re-enactments thereof and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any of Reserve Bank of India, Government of India and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to utilize an amount of ₹2543,65,86,035

(Rupees Two Thousand Five Hundred Fourty Three Crore Sixty Five lakh Eighty Six Thousand Thirty Five only) out of an amount of ₹5293,71,61,193.79 (Rupees Five Thousand Two Hundred Ninety Three Crore Seventy One Lakh Sixty One Thousand One Hundred Ninety Three and Paise Seventy Nine only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' of Bank as at 31.03.2018 by transfer to the credit of the Profit & Loss Account of the Bank for adjustment of the debit balance (accumulated losses) of ₹2543,65,86,035 (Rupees Two Thousand Five Hundred Fourty Three Crore Sixty Five Lakh Eighty Six Thousand Thirty Five only) as at 31.03.2018, reducing the debit balance in the Profit & Loss Account accordingly and take the same into account during current Financial Year 2018-19.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

Item No. 4

Election of Shareholder Director.

To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Bank of Maharashtra (Shares & Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification') and further amendments thereto, Office Memorandum Ref. no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 from Government of India (GOI) and F.No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated 08.07.2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto and to pass the following as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT _____ elected as Director from amongst Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office with effect from 30th June, 2018 and shall hold the office for a term of three years till 29th June, 2021.

By order of Board of Directors



(R.P. Marathe)

Managing Director and CEO

Date : 04th May, 2018

Place: Pune

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No. 2, 3 and 4 at the meeting is annexed hereto.
2. **Appointment of Proxy:**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. As per Regulation 70(vi) of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed to the Notice.
The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of Bank of Maharashtra, addressed to General Manager (Investor Services), Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune- 411005, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on **Friday, 15th June, 2018.**
3. **Appointment of Authorised Representative:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. **Friday, 15th June, 2018.**
4. **Attendance Slip-Cum Entry Pass (The Attendance Slip):**
For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders have an option to cast their votes by using e-voting platform. Those who do not exercise e-voting facility can cast their vote at the Venue voting by electronic means to be conducted at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

Shareholders, who have already exercised their votes through remote e-voting, can attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.

5. Book Closure:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **the Friday, 15th June, 2018 to Thursday, 21st June, 2018** (both days inclusive) for the purpose of 15th Annual General Meeting for the year 2017-18.

6. Unclaimed/Unpaid Dividend, if any:

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 205C(1) of the Companies Act, 1956/ Section 125 of the Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 have been transferred to "Investor Education and Protection Fund". The dividend for the year 2010-11 remaining unclaimed/ unpaid will be transferred to the said fund within the prescribed time limits.

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years (2010-11 onwards) are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Department at Pune on the following address:

MCS Share Transfer Agent Ltd.,
Unit: Bank of Maharashtra
Office No.002, Ground Floor
Kashiram Jamnadas Bldg.,
5, P D'Mello Road, Masjid (East),
Mumbai 400009 Tel: 020 40206022/23/24
Email:subodh@mcsregistrars.com

Bank of Maharashtra,
Investors' Services Department,
'Lokmangal', 1501, Shivajinagar,
Pune - 411 005
Tel: 020 25511360
E-mail: compsec@mahabank.co.in /investor_services@mahabank.co.in

7. The Board of Directors of the Bank has not recommended dividend for the financial year 2017-18.

8. Request to Shareholders:

Please note that copies of the Annual Report 2017-18 and AGM Notice in physical form have been dispatched separately using the services of Indian Post/ courier to those Shareholders who have not registered their email IDs with the Bank/RTA and in soft copy by email to those shareholders who have registered their email ids with the Bank/RTA. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank i.e. www.bankofmaharashtra.in. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

- a) Shareholders holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- b) Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/Demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

9. Consolidation of Folios:

The shareholders holding shares in physical form in identical order of names under more than one folio/account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. Dematerialization of Physical Holdings:

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their Demat account.

11. Lodgments for Transfers:

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

12. Recording of change of status:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Registrar & Transfer Agent of the Bank of:

- a. The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b. The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

13. Voting Rights:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and vote on the Agenda item either through remote e-voting or voting at the meeting.

14. E-Voting process:

1) CUT-OFF DATE FOR AGENDA ITEM NO. 1, 2 and 3:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the Shareholders in respect of agenda items No. 1, 2 and 3 shall be reckoned as on **Thursday, 14th June, 2018**.

2) SPECIFIED DATE FOR ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTOR (AGENDA ITEM NO. 4):

For the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** for the Election of ONE Director representing the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, **Friday, 18th May, 2018** is fixed as Specified Date, as mentioned in the Notice. Thus, Voting Rights of shareholders in respect of election of Shareholder Director shall be reckoned as on **Friday, 18th May, 2018**.

3) REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable Shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the remote e-voting service providing agency to provide the remote e-voting platform. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. **Remote E-voting is optional.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in Dematerialized form, as on the **Cut – off Date and / or on the Specified Date** may cast their vote electronically. Remote e-voting facility shall remain open to all shareholders **from 09:00 a.m. on Monday, 18th June, 2018 till 05:00 p.m. on Wednesday, 20th June, 2018 and the e-voting platform will be disabled thereafter.**

I. The process and manner for remote e-voting are as under:

a) Follow steps to cast E-vote:

- (i) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evotingindia.com/>
- (ii) Click on Shareholder – **Login**
- (iii) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (iv) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (v) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vi) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> • Members who have not updated their PAN with the Bank/ RTA/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank/ RTA's records in order to login. <ul style="list-style-type: none"> • If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- (vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (viii) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the relevant EVSN for the relevant <BANK OF MAHARASHTRA> on which you choose to vote.

- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

For Agenda Items No.1,2 and 3

- (xiii) On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder of the Bank as on the **Cut-off Date** (14th June, 2018) will appear.
- (xiv) In respect of Agenda items no. 1, 2 and 3, you may click on the assent or dissent as the case may be. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "SUBMIT" and also "CONFIRM" when prompted.

For Agenda Item No.4

- (xv) In respect of Agenda No. 4, those holding shares as on the Specified Date i.e. 18th May, 2018, can cast their vote in favour of only ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "SUBMIT" and also "CONFIRM" when prompted.
- (xvi) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xviii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xix) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xx) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**
 - a) Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - b) A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - c) After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - d) The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - e) A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- b) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- c) Any person, who acquires shares of the Bank and becomes shareholder of the Bank after the dispatch of the notice and is holding shares as of the cut-off date i.e. 14th June, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Bank/RTA. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the following Toll free no.: 1800-200-5533.
- d) Shareholders may visit Bank's website www.bankofmaharashtra.in – Investor Relations link on home page for updated e-voting instructions.

4) VOTING PROCESS AT THE AGM:

The voting on the agenda item shall be done by remote e-voting as well as by voting by electronic means at the AGM. Those who do not exercise the option of remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the voting to be conducted at the venue of the AGM.

5) SCRUTINIZERS AT AGM:

M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries, Thane shall act as Scrutinizer along with another shareholder with respect to Agenda item nos. 1, 2 and 3 for the voting process to be conducted at the 15th Annual General Meeting. In respect of Agenda item no. 4, the entire process of Election would be conducted by the Returning Officer, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

6) RESULTS OF E-VOTING AND VOTING AT THE MEETING:

The Results of the voting at the AGM aggregated with the results of the remote e-voting shall be placed on the website of the Bank www.bankofmaharashtra.in and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT:

ITEM NO. 2: TO RAISE CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS ISSUE/QIP/ PREFERENTIAL ISSUE ETC.,

- (i) As per RBI guidelines under Basel III the Bank should maintain a minimum CRAR of 11.50% of its Risk Weighted Assets (RWA) as of 31.03.2019, including stipulation of the minimum Common Equity Tier I Capital (CET 1) of 5.50%. As per the RBI prescribed phased programme, the banks should provide every year Capital Conservation Buffer (CCB) of 0.625% from March 2016 to March 2019 and the CCB should be in the form of CET 1. The Bank's Capital Adequacy Ratio as on 31.03.2018 was at 11.00% as per Basel III, of which Tier I capital (including CCB) was 9.01%, with CET 1 (including CCB) of 8.97%. To meet the additional requirement on account of CCB and to provide necessary capital for the annual business growth, Bank has assessed equity capital requirement of around ₹ 3000/- crore for the financial year 2018-19.
- (ii) The required capital as above is proposed to be raised from market by way of FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., including Capital support from Central Government. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.
- (iii) The equity capital as said above will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- (iv) The Board of Directors at its meeting held on 04th May, 2018 had given their approval to raise an equity capital upto ₹3000/- crore (including share premium) through the different available options and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (v) The approval of the Shareholders of the Bank was obtained in the 14th Annual General Meeting held on June 16, 2017 for raising of capital through FPO/Rights Issue/QIP/ Preferential issue etc., upto ₹ 2,000/- crore. As per the SEBI Regulations, the validity of the resolution is restricted to twelve months for such QIPs. Keeping in view the future requirements, the approval of the Shareholders of the Bank is hereby sought once again.
- (vi) Bank is taking requisite approvals from Government of India/ Reserve Bank of India for increasing the Authorised Capital of Bank.
- (vii) The equity shares issued, shall rank *pari passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.
- (viii) None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 3: SET OFF THE ACCUMULATED LOSSES OF BANK AS OF 31.03.2018:

- (i) The Bank proposes to utilize the amount standing to the credit of Share Premium Account of Bank for the purpose of setting off the accumulated losses of Bank as at 31.03.2018.
- (ii) Accordingly, Bank proposes to utilize the amount of ₹ 2543,65,86,035 (Rupees Two Thousand Five Hundred Forty Three Crore Sixty Five lakh Eighty Six Thousand Thirty Five only) out of an amount of ₹ 5293,71,61,193.79 (Rupees Five Thousand Two Hundred Ninety Three Crore Seventy One Lakh Sixty One Thousand One Hundred Ninety Three and Paise Seventy Nine only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' of Bank as at 31.03.2018 by transfer to the credit of the Profit & Loss Account of the Bank for adjustment of the debit balance (accumulated losses) of ₹ 2543,65,86,035 (Rupees Two Thousand Five Hundred Forty Three Crore Sixty Five Lakh Eighty Six Thousand Thirty Five only) as at 31.03.2018, reducing the debit balance in the Profit & Loss Account accordingly and take the same into account during current Financial Year 2018-19.
- (iii) The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalised, would be that the accumulated losses, which as on 31.03.2018 stood at ₹ 2543.65 crore will accordingly stand reduced.
- (iv) The said set off will present the true and fair view of the financial position of the Bank and will not affect any ratios such as Book value per share, Return on Equity (ROE), Earning per share (EPS).
- (v) The said set off will help the Bank to improve its distributable reserves. The Bank will also be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also put the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plans in a time-bound manner.
- (vi) While The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets, there is no specific provision or prohibition to set-off the accumulated losses against the Share Premium account.

- (vii) As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which permits the reduction of paid up capital of the Bank with the approval of the shareholders by way of a Special Resolution.
- (viii) Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.
- (ix) The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged.

Sr. No	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding	Number of Equity shares held	Percentage of Shareholding
1	Promoter's Holding: GOI	2260923433	87.01	2260923433	87.01
2	Non Promoter Holding: Public	337530974	12.99	337530974	12.99
	Total	2598454407	100.00	2598454407	100.00

- (x) The rights of the shareholders and creditors will not be prejudicially affected. The Board of Directors at its meeting held on 04th May, 2018 have approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its shareholders and has recommended the passing of Resolution as mentioned in the Notice.
- (xi) None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

ITEM NO. 4: ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- (i) As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is less than sixteen per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have one Director duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- (ii) As per the above guidelines, the Bank is entitled to have one Director, elected from amongst shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having one Shareholder Director on the Board. The term of Shri R. Thamodharan, Shareholder Director of the Bank will end on 29th June, 2018.
- (iii) The Board at its meeting held on 04th May, 2018 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank, which will arise w.e.f. 30th June, 2018 and has recommended the passing of the resolution as mentioned in the notice.
- (iv) The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respects, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination Committee of the Board.
- (v) Upon scrutiny of all the nominations received, if only **one** valid nomination is found, the sole candidate shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no nomination is found valid, the agenda item no. 4 at the AGM will not be conducted. The newly elected Director will assume office for a period of three years w.e.f. 30th June, 2018.
- (vi) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of Remote e-voting and voting by electronic means at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulations / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20 Section 51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➤ Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank.
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)& Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC. No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC. No. 39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 and subsequent notifications.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected Directors on the Board of Nationalized Banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1 st July, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme/ The Regulations as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016- 17 dated 24.11.2016 and GOI Guidelines will be hosted on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in in which can be viewed/ downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of Maharashtra at its Head Office at compsec@mahabank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., Wednesday, 06th June, 2018.

A. PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Friday, 18th May, 2018** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of Director from amongst Shareholders, other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

B. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -

- i. agriculture and rural economy
- ii. banking
- iii. co-operation
- iv. economics
- v. finance
- vi. law
- vii. small scale industry
- viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks).

B. represents the interest of depositors; or

C. represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under subsection 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

(A) In terms of Clause 10 of The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a Competent Court; or
- c) if he has been convicted by Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

(B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated 24.11.2016 and Government of India guidelines No.F.No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 and dated 20.07.2016 read with OM dated September 03, 2013 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

C. LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 64 of The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 from 21st May, 2018 for purchase by Shareholders on a pre-payment of ₹10,000/- (Rupees Ten Thousand only) for soft copy on CD and ₹ 50,000 (₹ Fifty Thousand only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favor of 'Bank of Maharashtra' payable at Pune. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

D. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Head Office of the Bank with the office of the Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 on all working days (other than Second and Fourth Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 10.00 a.m. to 5.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹5/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

E. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations, Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, No. DBR. Appt.BC.No.39/ 29.39.001/2016- 17 dated 24.11.2016 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issued on 28.04.2015 and 20.07.2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts/ Guidelines/ Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) He / She is a shareholder of Bank holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 18th May, 2018** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on **Wednesday, 06th June, 2018** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications /GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders of Bank entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) are accompanied by declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in)
- f) He / She is not disqualified under The Banking Regulation Act, 1949 or The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "The Regulations") and RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter F.No.16/51/2012-BO-I, dated 28.04.2015 read with Guidelines dated 20.07.2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto.

F. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope, marked "**Nomination for Shareholder Director - AGM 2018**" to the General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e., **on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Wednesday, 06th June, 2018.**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU form) in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of a) Bio-data, b) Certificate of Educational Qualifications, c) Work Experience, etc.,

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

G. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR:

- a) Nominations shall be scrutinized on Thursday, 07th June, 2018 for conformity of the Nomination with the conditions as contained in the Regulations and in case any nomination is found not to be conforming, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Valid Nominations shall be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board (NCB) in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 01.11.2007, 23.05.2011 and 24.11.2016 issued by the Reserve Bank of India.
- c) While determining the Fit & Proper status, the NCB may also, in terms of advice of GOI, keep in mind the Criteria laid down by the Government of India for consideration as a NOD in Public Sector Banks as issued by Ministry of Finance, Government of India on 28.04.2015 and 20.07.2016 while determination of the Fit & Proper Status of Candidate.
- d) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NCB seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- e) If there is only **One candidate** who is found to be Fit & Proper by the NCB the said candidate shall be deemed to be elected from the day of his/her assumption of office and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event or in case no Candidate is found to be Fit & Proper by the NCB, the agenda item no.4 at the AGM will not be conducted. The newly elected Director will assume the office with effect from 30th June, 2018.
- f) If there are more than one Candidate found to be Fit & Proper by the NCB, the names of the candidates shall be published on the Bank's website, CDSL E-voting Portal, newspapers and Election will be held. Candidate polling the majority of the votes will be declared as elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

H. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time but not later than 2.00 p.m. on **Friday, 15th June, 2018** by sending a signed letter addressed to General Manager, Investor Services Department, Bank of Maharashtra, 'Lokmanga', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 or scanned and signed letter over e-mail at boardsec@mahabank.co.in or compsec@mahabank.co.in

I. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, as amended.

J. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ Guidelines are available on Bank's website www.bankofmaharashtra.in for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting election may download the same or may write to the Company Secretary of the Bank at compsec@mahabank.co.in to obtain copy thereof.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

Existing Directors who intend to contest the Election of Shareholder Director may be deemed to be concerned or interested in the agenda item, if they decide to contest the election.

By order of Board of Directors



(R.P. Marathe)

Managing Director and CEO

Date : 04th May, 2018

Place: Pune

Bank of Maharashtra

NOMINATION FORM (By the Shareholder) (Refer Regulation 65 (i) (d) of the Regulations)

SR. No.

To,

Managing Director and CEO
Bank of Maharashtra
Head Office,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar,
Pune – 411005

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 04th May, 2018, I _____ a shareholder of Bank of Maharashtra, holding _____ equity shares of ₹ 10/- each (fully paid up) as on Friday, 18th May, 2018 (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/ wife of Shri/Smt. _____ residing at _____

for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Thursday, 21st June, 2018 at Pune.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	
D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

DECLARATION (By The Candidate)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of Shri. /Smt. _____,

a resident of _____ hereby confirm that:

- a. I am a Shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on **Friday, 18th May, 2018** i.e., the **Specified Date** for participating in the election and will hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or (viii) Information Technology (ix) Retail Banking (x) Human Resources Management or any other special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials;
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____;
- d. I am willing to contest for the election of Director of Bank of Maharashtra;
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, The Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, The Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, relevant notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

I further declare that:

- g. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
- i. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
- j. I am not connected with any hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers;
- k. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company;
- l. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer whether intermittently or continuously;
- m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer;
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- o. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- p. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank; and
- q. I give below the details of my present as well as past directorship details in other Companies/ Banks:

Name of the Company/ Bank etc.	Directorship details viz., tenure, period etc.

r. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not Dematerialised)	DP ID No. and Client ID No (if Dematerialised)
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Name : _____

Signature with Seal

Date : _____

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or _____ (Bank of Maharashtra or any Nationalised Bank).

* Tick whichever is applicable

Note- modify suitably / delete if necessary.

(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix passport size
photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on2018	
I. Personal details of the candidate	
a.	Full Name (in capital letters) Fathers Name (in Full)
b.	Date of Birth
c.	Educational Qualifications
	Educational /academic (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).
	Educational/professional (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information).
d.	Relevant Background and Experience (in number of years) (As required under section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970) (Please indicate your experience relevant to the Directorship of the Bank).
e.	Permanent Address
f.	Present Address (For correspondence)
g.	E-mail ID Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)
h.	1. Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). 2. Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.
i.	Relevant Knowledge and Experience (As required under Section 9(3A) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.
j.	Any other information relevant to the Directorship of the Bank.

II.	Relevant Relationships of the Candidate	
	a. List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of The Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Sch 1A of Companies Act 1956].	
	b. List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2(49) and Section 184 of The Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of The Companies Act, 1956].	
	c. List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of The Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d. Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held).	
	e. Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by the entities listed at II (b) and (c) above from the Bank.	
	f. Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank of Maharashtra or any other Bank.	
III.	Records of Professional Achievements	
	a. Professional achievements relevant	
IV.	Proceedings, if any, against the Candidate	
	a. If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
	c. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
	d. Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, [Section 274 of the Companies Act, 1956] read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.	
	e. Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f. Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax /foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	

	<p>g. Whether the candidate had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA,RBI, MCA, FEMA, CIBIL etc., (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</p>	
--	--	--

<p>V.</p>	<p>Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper' status.</p>	
------------------	--	--

UNDERTAKING

I _____ Son/ Daughter / Wife of _____

confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all Directors of the Bank.

Place : _____

Date : _____ Signature of Candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Remarks / Observations of the Nomination Committee of the Bank:

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Date: _____

Place: _____



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

15th Annual General Meeting, Thursday, 21st June, 2018 at 10.30 a.m.

At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

I hereby record my presence at the 15th Annual General Meeting of the Bank.

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

BANK OF MAHARASHTRA

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005.

15th Annual General Meeting, Thursday, 21st June, 2018 at 10.30 a.m.

At Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	Number of Shares held
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/ Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

HEAD OFFICE: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

Form B

PROXY FORM

(As per Regulation 70 (iii) of The Regulations)

(To be filled in and signed by the Shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.	
		Client ID No.	
If not Dematerialised		If Dematerialised	

I/We,resident(s) of in the district of.....in the State ofbeing a shareholder/s of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt..... resident ofin the district of..... in the State ofOR failing him/her, Shri/Smt..... resident ofin the district of..... in the State ofas my / our proxy to vote for me / us and on my/our behalf at the 15th Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra to be held on **Thursday, 21st June, 2018** at 10.30 a.m. at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 and at any adjournment thereof.

Signed this day of.....2018.

Name.....

Address.....

.....

Please
affix ₹ 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

(Signature of the first named/sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- The Proxy together with
 - The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager, Investor Services Department, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than **FOUR DAYS** before the date of the 15th Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours at **05.00 P.M. on Friday, 15th June, 2018.**
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the 15th Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

एनईसीएस फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग

5, पी.डिमेलो रोड, मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009

फोन: (022) 40206022/23/24 फैक्स : (022) 40206021

प्रिय महोदय,

विषय : इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (एनईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स **भौतिक रूप में हैं।**

मैं / हम एनईसीएस **सुविधा** के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूँ/ करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए।

1.	प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	
2.	रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	
3.	बैंक खाते का विवरण	
क.	बैंक का नाम	
ख.	शाखा नाम	
ग.	शाखा का पता	
घ.	टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	
ड.	एसबी/ सीबी खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है*	
च.	बैंक शाखा का आईएफएससी कूट	
छ.	एमआईसीआर क्रमांक	

(*उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना निरस्त कोरा चेक या उस निरस्त चेक की फोटोकॉपी या बैंक द्वारा जारी आपके बचत बैंक / चालू खाता पासबुक के मुख पृष्ठ (फ्रंट पेज) की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है।

भवदीय,

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान :

यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक (डी-मैट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपॉजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

NECS Form

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,

5, P.D. Mello Road, Masjid (East), Mumbai 400 009.

Phone: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021

Dear Sir,

Sub: Payment of Dividend through NECS.

I/ We hold equity shares of Bank of Maharashtra **in physical form.**

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through NECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1. First / Sole Shareholder's name	
2. Registered Folio No.	
3. Particulars of Bank Account	
a. Bank Name	
b. Branch Name	
c. Address of the Branch	
d. Telephone number and Fax number	
e. SB/ CB Bank Account Number as appearing on the Cheque Book*	
f. IFSC code of the Bank Branch	
g. MICR No.	

(*Please attach a cancelled blank cheque or photocopy thereof or front page of your savings/ current bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete.

Yours faithfully,

Date:

Place:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Please note that in case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly provide the Bank details directly to your Depository participant.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

ई-मेल पंजीकरण / पैन सूचना के लिए फॉर्म

(केवल भौतिक रूप में शेयर धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग

5, पी.डिमेलो रोड, मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009

फोन : (022) 40206022/23/24 फैक्स : (022) 40206021

प्रिय महोदय,

मैं हरित पहल के भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा बैंक से सूचनाएं, वार्षिक रिपोर्टों और अन्य संप्रेषण प्राप्त करने के लिए नीचे दिए अनुसार एतद्वारा अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत/ अद्यतित करता हूँ/ पैन क्रमांक की सूचना देता हूँ :-

एकल/ एकमात्र धारक का नाम	
फोलियो क्रमांक	
पूरा पता (पिन कोड सहित)	
ई-मेल आईडी	
पैन क्र.	
संपर्क क्रमांक:	
मोबाइल:	
लैण्डलाइन (एसटीडी कोड सहित):	

भवदीय,

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान :

कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों के पास डी-मैट प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं, वे कृपया अपना ई-मेल आईडी अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास निर्दिष्ट प्रारूप में अद्यतित कराएं न कि बैंक के पास कराएं।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

FORM FOR EMAIL REGISTRATION/PAN INTIMATION

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,

5, P.D. Mello Road, Masjid (East), Mumbai 400 009.

Phone: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021

Dear Sir,

I hereby Register/Update my Email ID/Intimate PAN No. as provided below for receiving the Notices, Annual Reports and other communication from the Bank through electronic mode as a part of Green Initiative:

Name of the Sole/First Holder	
Folio No.	
Full Address (with PIN code)	
Email ID	
PAN No.	
Contact Nos.	
Mobile:	
Landline (with STD Code):	

Yours faithfully,

Date:

Place:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Please note that the Shareholder holding shares in demat form are requested to update their Email ID with their DP in the format prescribed by the DP and not with the Bank.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

अभिलेख अद्यतन का अनुरोध - पते में बदलाव

(शेयर केवल भौतिक रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों के लिए)

प्रति,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ऑफिस क्रमांक 002, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग

5, पी.डिमेलो रोड, मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009

फोन : (022) 40206022/23/24 फैक्स : (022) 40206021

प्रिय महोदय,

विषय: भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए पते में बदलाव

फोलियो क्रमांक..... धारित शेयरों की संख्या.....

उपर्युक्त लेजर फोलियो के अंतर्गत इक्विटी शेयर धारण करने वाला/ वाले अधोहस्ताक्षरी मैं/ हम यह सूचित करना चाहता हूँ/ चाहते हैं कि बैंक के पास संप्रेषण के लिए पंजीकृत मेरा/ हमारा पता निम्नानुसार परिवर्तित हो गया है

पुराना पता	नया पता
पिनकोड	पिनकोड

मैं एतद्वारा नये पते के साक्ष्य (कोई एक) भी संलग्न कर रहा हूँ :

1. राशन कार्ड की प्रति
2. पासपोर्ट की प्रति
3. मतदाता पहचान कार्ड की प्रति
4. अन्य _____ (कृपया निर्दिष्ट करें)

मैं/ हम अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि कृपया मुझे/ हमें सूचित करते हुए अपने अभिलेख को अद्यतित करें।

भवदीय,

दिनांक :

स्थान :

(प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम और हस्ताक्षर)

कृपया नोट करें कि जिन शेयरधारकों के पास डी-मैट प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं, वे कृपया अपना बदला हुआ पता अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास निर्दिष्ट प्रारूप में अद्यतित कराएं न कि बैंक के पास कराएं।



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

REQUEST FOR UPDATION OF RECORDS - CHANGE OF ADDRESS

(for Shareholders holding physical shares only)

To,

MCS Share Transfer Agent Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.002, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,

5, P.D. Mello Road, Masjid (East), Mumbai 400 009.

Phone: (022) 40206022/23/24 Fax: (022) 40206021

Dear Sir,

Sub: Change of Address for Shares held in Physical Form

Folio No. _____ No. of Shares held _____

I/We, the undersigned, holding the Equity Shares under the above Ledger Folio, wish to inform that my/our address for communication registered with the Bank, has changed to the following:

Old Address	New Address
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____ Pincode _____	_____ Pincode _____

I am also enclosing herewith the new residential proof viz. (anyone):

- 1) Copy of Ration Card
- 2) Copy of Passport
- 3) Copy of Voter's Identity Card
- 4) Others _____ (please specify)

I/ We request you to please update your records under an intimation to me/ us.

Yours faithfully,

Date:

Place:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Please note that the Shareholder holding shares in demat form are requested to update their change of address with their DP in the format prescribed by the DP and not with the Bank.

एजीएम स्थल पर पहुंचने हेतु रोड मैप

स्थान: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411005

Route Map to Reach Venue of AGM

Location: Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक